

प्रेषक,
श्री यज्ञवीर चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
1. समस्त जिलाधिकारी,
समस्त प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून / लखनऊ।

आवास अनुभाग—4

लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 1999

विषय : नजूल भूमि के फी—होल्ड के सन्दर्भ में शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पूर्व में जारी किये गये अतिरिक्त डिमान्ड नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नजूल भूमि के फी—होल्ड के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व नीति के तहत सामान्य दर पर फी—होल्ड हेतु डिमान्ड नोटिस निर्गत की गयी और इसके सापेक्ष सम्बन्धित पक्ष द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी तत्पश्चात पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पुनः अतिरिक्त डिमान्ड नोटिस निर्गत की गयी और उसके सापेक्ष द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की गयी हो तो ऐसे प्रकरणों में पूर्व में जमा धनराशि पर ही फी—होल्ड की कार्यवाही की जाय तथा पुनः निर्गत अतिरिक्त नोटिस को निरस्त किया जाय।

2. जिन प्रकरणों में पूर्व नीति के तहत सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है उनमें विधिक डीड के निष्पादन की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय। यह कार्यवाही प्रथमिकता पर करते हुए एक माह में पूरा कराया जाय। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यदि इस प्रकार के प्रकरणों को तत्काल निस्तारण नहीं किया जाता है और विवाद किसी न्यायालय में जाता है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव

संख्या—509(1) / 9—आ—4—99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- (2). समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (3). वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग—6
- (4). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनु सचिव